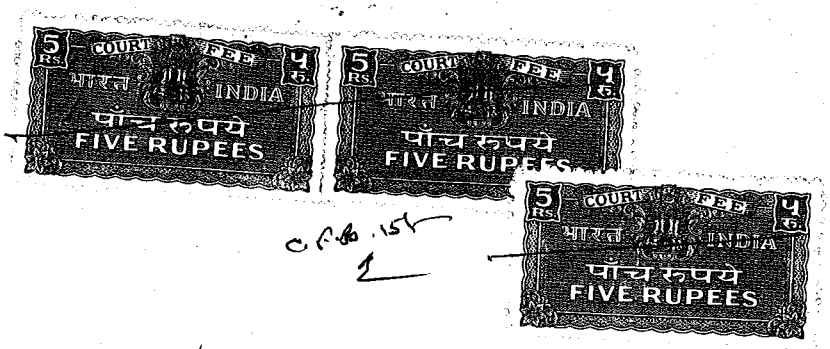

८५

C.F. 15/-

न्यायालय बोर्ड आफ रेविन्यु मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /98 निगरानी

मप्र 1138/98

1138 मप्र/98

क्रमांक ....
श्री 17.6.98
अभिभाषक द्वारा आज दिनांक
को प्रस्तुत 17-6-98
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

17/6/98

1. काशीराम | पुत्रगण दुलीचन्दजी धन्धा खेती
2. गिरधारी |
3. बापूलाल |
4. लालजीराम |
5. प्रेमनारायण पिता माधान
6. सम्पतबाई पति माधान धन्धा खेती
7. देवीप्रशाद | पुत्रगण हरिराम धन्धा खेती
8. सोहनसिंह |
9. मोहन |

समस्त निवासीगण ग्राम अरन्याकला तेहसील कालापीपल जिला शाजापुर ।

------ प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. देवकरण उर्फ करणसिंह आयु 40 वर्ष पिता खुमानसिंहजी धन्धा खेती निवासी ग्राम अरन्याकला तेहसील कालापीपल जिला शाजापुर ।
2. खुमानसिंह पिता दरयावसिंह आयु 75 वर्ष
3. मोहन आयु 37 वर्ष पिता खुमानसिंह
4. सोहन आयु 35 वर्ष पिता खुमानसिंह

समस्त जाति खाती धन्धा खेती निवासी ग्राम अरन्याकला तेहसील कालापीपल जिला शाजापुर ।

--- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश विद्वान आधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 51/97-98 अपील द्वितीय में पारित दिनांक 9-6-1998 ।

==

क्रमशः - 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1138–पीबीआर/1998 जिला शाजापुर

काशीराम आदि विरूद्ध देवकरन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–10–2015	आवेदक की ओर से श्री एस0के0 अवस्थी अभिभाषक उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री एस0के0 वाजपेयी अभिभाषक उपस्थित। 2/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा बताया गया कि प्रकरण के आवेदक कमांक 1 काशीराम की मृत्यु वर्ष 2009 तथा आवेदक कमांक 2 गिरधारी की मृत्यु वर्ष 2006, आवेदक कमांक 3 बापूलाल की मृत्यु वर्ष 2011, आवेदक कमांक 4 लालजीराम की मृत्यु वर्ष 2011 तथा अनावेदक कमांक 2 खुमानसिंह की मृत्यु वर्ष 2006, अनावेदक कमांक 3 मोहनसिंह की मृत्यु वर्ष 2012 में हो चुकी है। आवेदक द्वारा प्रकरण में मृत पक्षकारों के उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर लिये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः यह प्रकरण अवैट हो जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अभिभाषक द्वारा बताया गया कि उनका पक्षकार से कोई सम्पर्क नहीं अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही करना नहीं चाहते हैं। उपरोक्त तर्कों के प्रकाश में यह निगरानी प्रकरण अवैट हो जाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अभिलेख वापस भेजे जायें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	